मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफक्रमांक 9-1/79/3/1 भोपाल, दिनांक 21 जून, 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्य प्रदेश

विषयः- सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के लिए नस्तियां भेजने के संबंध में ।

==x==

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग द्वारा दिनांक 30 मई 1970 को, ज्ञापन क्रमांक 1582/845/एक(3) (प्रतिलिपि सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है) के अंतर्गत जारी किए गए अनुदेश की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया जाता है । ऐसा पाया गया है कि कई विभाग जब सामान्य प्रशासन विभाग से किसी प्रश्न पर मार्गदर्शन के लिए नस्ती अंकित करते हैं तो उसमें संक्षेपिका (दो प्रतियों में) नहीं रखते । इसके अतिरिक्त ऐसा भी देखा गया है कि संक्षेपिका स्पष्ट एवं पूर्ण नहीं रहती है और उसमें वे मुद्दे स्पष्ट रूप से अंत में नहीं बताए जाते जिन पर सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन अपेक्षित हो । यह भी देखा गया है कि कई विभाग ऐसे प्रश्नों पर सामान्य प्रशासन विभाग को राय मांगते है जिसके संबंध में स्पष्ट रूप से सामान्य अनुदेश या नियम पहले ही जारी किए जा चुके हैं । इससे सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य में वृध्दि होती है ।

सभी विभागों से निवेदन है कि सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श के लिए नस्ती भेजने के पूर्व विभाग स्वयं इस बात का पूर्ण परीक्षण करें कि क्या उनके द्वारा जिन मुद्दों पर राय मांगी जा रही है उनके संबंध में उनके विभाग में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इससे पहले राय दी गई थी या नहीं ? क्या उन मुद्दों के संबंध में शासन द्वारा जारी किए गए सामान्य अनुदेश एवं नियम है या नहीं ? इसके बाद ही प्रशासकीय विभाग इस विभाग को परामर्श के लिए उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार संक्षेपिका बनाकर (उसकी दो प्रतियां) नस्ती में रखकर इस विभाग को भेजें ।

सभी विभागों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग को कोई भी नस्ती उप सचिव से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा परामर्श के लिए अंकित न की जाए ।

(एस0आर0कृष्णन)
विशेष सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञा प न

क्रमांक 1582 / 845/ एक (3) भोपाल, दिनांक 30 मई, 1970

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश ।

विषय :- सामान्य प्रशासन विभाग को अंकित नस्तियों को निपटाने की कार्यप्रणाली ।

* * *

सामान्य प्रशासन विभाग में अन्य विभागों से परामर्श के लिये आने वाली फाइलों के बारे में अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों मेंDuplicate . copy सामान्य प्रशासन विभाग में रहे जिससे प्रशासकीय विभाग की मूल नस्ती संबंधित विभाग को मिल जाय और सामान्य प्रशासन विभाग में भी उसका रिकार्ड रहे । अतः निवेदन है कि भविष्य में आपके विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को परामर्श के लिये भेजे जाने वाले प्रकरणों में मुख्य फाइल के साथ मामले की सर्वांगीण संक्षेपिका तथा Specific issues for consideration डुप्लीकेट में भेजा करें जिससे एक, कार्यवाही के पश्चात, प्रशासकीय विभाग को वापस भेजी जा सके और दूसरी रिकार्ड के लिये सामान्य प्रशासन विभाग में उपलब्ध रहे ।

हस्ताक्षर -
(मु0वि0 गर्दे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग